

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठारसीन अधिकारी :- चिरंजीलाल दायमा, आर० ए० एस०)

अपील संख्या :- 14/2013 (70/2006) अन्तर्गत धारा 223 आर० टी० एक्ट

उनवान :- 1. मु० धनकौरी पुत्री गीनाराम जाति यादव निवासी ग्राम खोहरी
तहसील बहरोड पत्नि रामजीलाल निवासी दौलतसिंहपुरा
तहसील बहरोड जिला अलवर ।

:----- प्रतिवादी अपीलांत

बनाम


1. रामसिंह पुत्र सूरजी पत्नि लक्ष्मन जाति यादव
2. बलवन्तसिंह पुत्र सूरजी पत्नि लक्ष्मन जाति यादव
3. गजराज सिंह पुत्र सूरजी पत्नि लक्ष्मन जाति यादव
4. तारा पुत्री सूरजी पत्नि लक्ष्मन जाति यादव
5. चन्द्रो पुत्री सूरजी पत्नि लक्ष्मन जाति यादव निवासीयान ग्राम
ढानी रानीवाली तन दौलतसिंह पुरा तह० बहरोड

:----- वादीगण असल रेस्यो०

6. दयानन्द पुत्र श्रीराम जाति यादव निवासी ग्राम खोहरी
तहसील बहरोड जिला अलवर ।
7. रामसिंह पुत्र श्रीराम जाति यादव निवासी ग्राम खोहरी
तहसील बहरोड जिला अलवर ।
8. बस्तीराम पुत्र श्रीराम जाति यादव निवासी ग्राम खोहरी
तहसील बहरोड जिला अलवर ।
9. काशीराम पुत्र खूवाराम जाति यादव निवासी ग्राम खोहरी
तहसील बहरोड जिला अलवर ।
10. नरेश पुत्र झावर जाति यादव निवासी ग्राम खोहरी
तहसील बहरोड जिला अलवर ।
11. उप पंजियक, बहरोड
12. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, बहरोड

:----- प्रतिवादी तरतीबी रेस्यो०

अपील विरुद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर, बहरोड
दिनांक 16.2.2006


भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांटस :- श्री मदनलाल
2. वकील असल रेस्पोंडेंट :- श्री रामेश्वर दयाल

निर्णय

दिनांक 24.02.2016

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर, बहरोड द्वारा राजस्व वाद संख्या 207/99 उनवान रामसिंह वगैरा बनाम धनकौरी वगैरा में पारित निर्णय निर्णय 16.02.2006 के विरुद्ध है, जिस निर्णय के द्वारा वादीगण का वाद बाबत घोषणात्मक एवं तकसीम आराजी डिक्री किया गया है ।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने तहत न्यायालय में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया था कि आराजी साविक खसरा नम्बर 160 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा हाल नम्बर 225 रकबा 44 एयर, साविक नम्बर 203 रकबा 13 बिस्वा हाल नम्बर 78 रकबा 19 एयर, साविक नम्बर 225/2 रकबा 5 बीघा हाल नम्बर 479 रकबा 0.05, साविक नम्बर 312 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा हाल नम्बर 480 रकबा 44 एयर, साविक नम्बर 359/1 रकबा 1 बीघा हाल नम्बर 545 रकबा 12 एयर व 546 रकबा 16 एयर, साविक नम्बर 449 रकबा 17 बिस्वा हाल नम्बर 697 रकबा 20 एयर, साविक नम्बर 618/2 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा हाल नम्बर 956 रकबा 32 एयर, साविक नम्बर 655 रकबा 5 बिस्वा हाल नम्बर 1001 रकबा 2 एयर व 1002 रकबा 3 एयर, साविक नम्बर 670/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा हाल नम्बर 1020 रकबा 39 एयर, साविक नम्बर 671 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा हाल नम्बर 1021 रकबा 03 एयर व 1022 रकबा 32 एयर, साविक नम्बर 725/1 रकबा 12 बिस्वा हाल नम्बर 1099 रकबा 14 एयर, साविक नम्बर 906/1 रकबा 8 बिस्वा हाल नम्बर 1371 रकबा 9 एयर, 913/1 रकबा 7 बिस्वा हाल नम्बर 1419 रकबा 8 एयर, साविक नम्बर 174 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा हाल नम्बर 238 रकबा 44 एयर, कुल किता 14 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम खोहरी तहसील बहरोड के निस्फ भाग के वादीगण खातेदार काश्तकार हैं । मीनाराम ने दिनांक 27.11.75 को प्रतिवादी संख्या 01 के हक में गलत तौर पर हिबानामा कर दिया था । इस हिबानामा के आधार पर ग्राम पंचायत ने गलत तौर पर प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में इन्तकाल दर्ज कर दिया । हाल बंदोबस्त में प्रतिवादीगण के नाम यह आराजी विधि विरुद्ध दर्ज कर दी गई । जबकि उपरोक्त आराजीयात से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं है । इस आराजीयात में वादीगण निस्फ भाग के खातेदार काश्तकार थे । अतः निवेदन है कि वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त वाद पत्र डिक्री करते हुये वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करने हेतु तहसीलदार को कुर्रे कायमी रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया है । इस अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलांटस ने यह अपील पेश की है ।
3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया है कि हम पक्षकारान में राजीनामा हो गया है । अतः मुताबिक राजीनामा अपील अपीलांटस स्वीकार की जावे ।

म-प्रकथ अधिकारी एवं पदेन
अधिकारी, अलवर

4. रेस्पोंडनेट ने दिनांक 15.4.2013 को उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर निवेदन किया था कि अब हम पक्षकारान में राजीनामा हो गया है तथा अपील में हम किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांटस मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर ली जाती है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है।

5. अपीलांट एवं रेस्पोंडनेट द्वारा राजीनामा इस आशय का भी पेश किया गया है कि प्रस्तुत रजिस्टर्ड हिबेनामा दिनांक 27.11.75 के आधार पर अपीलांट के नाम जो राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया गया है, वह सही है। समस्त आराजीयात अपीलांट के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, वह सही है। अधिनस्थ न्यायालय ने जो दावा डिक्री किया है, उस डिक्री को निरस्त किये जाने में रेस्पोंडनेट को कोई आपत्ति नहीं है।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा राजीनामा पर गौर किया एवं आदेश 23 नियम 03 सी० पी० सी० में राजीनामा के सम्बन्ध में दिये गये प्रावधानों का अध्ययन किया। आदेश 23 नियम 03 सी० पी० सी० में राजीनामा के सम्बन्ध में प्रावधान दिया गया है कि :-

1. अगर राजीनामा सभी पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से लिखित में दिया गया है।

2. सभी पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित है।

3. न्यायालय द्वारा तस्दीक है।

4. किसी कानून से बाधित नहीं है।

तो मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण कर देना चाहिये।

7. प्रस्तुत प्रकरण में पेश राजीनामा सभी पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से स्वहस्ताक्षरित पेश किया गया है। पक्षकारों की पहचान उनके वकीलों द्वारा की हुई है तथा न्यायालय हाजा द्वारा राजीनामा तस्दीक किया हुआ है। यह राजीनामा किसी कानून से बाधित होना भी प्रकट नहीं है। लिहाजा आदेश 23 नियम 03 सी० पी० सी० में दिये गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में मुताबिक राजीनामा अपील अपीलांटस स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः आदेश है कि मुताबिक राजीनामा अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर आदेशानुसार तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2006 निरस्त किया जाता है।

9. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पर्चा डिक्री जारी हो। तहत पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो।

(चिरंजीलाल-दायमा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- चिरंजीलाल दायमा, आर० ए० एस०)

अपील संख्या :- 14/2013 (70/2006) अन्तर्गत धारा 223 आर० टी० एक्ट

उपस्थित :- 1. मु० धनकौरी पुत्री मीनाराम जाति यादव निवासी ग्राम खोहरी तहसील बहरोड पत्नि रामजीलाल निवासी दौलतसिंहपुरा तहसील बहरोड जिला अलवर ।

:----- प्रतिवादी अपीलांत

बनाम

1. रामसिंह पुत्र सूरजी पत्नि लक्ष्मन जाति यादव वगैरा निवासीयान ग्राम ढानी रानीवाली तन दौलतसिंहपुरा तहसील बहरोड जिला अलवर ।

:----- वादीगण असल रेस्पो०

6. दयानन्द पुत्र श्रीराम जाति यादव निवासी ग्राम खोहरी तहसील बहरोड जिला अलवर वगैरा ।

:----- प्रतिवादी तरतीबी रेस्पो०

अपील विरुद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर, बहरोड
दिनांक 16.2.2006

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांतस :- श्री मदनलाल
2. वकील असल रेस्पो० :- श्री रामेश्वर दयाल

पर्चा डिकी

दिनांक 24.02.2016

मुताबिक राजीनामा अपील अपीलांतस स्वीकार की जाकर विद्वान तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2006 निरस्त किया जाता है ।

(चिरंजीलाल दायमा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर